।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 3269/12-1, गोपेश्वर, दिनांक दिसम्बर 28 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं0 3620/10 सी0 दिनांक 21.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम लगाई गई आपत्तियो का बिन्दुवार निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया जो निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	Short narrative of the project does not give adequate information about project in online Part I.	पार्ट–। के क्रम संख्या A–1 (iii) मे Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।
2.	Total period for which the area proposed to be diverted is not mentioned in Part I.	पार्ट–। के क्रम संख्या A–1(x) मे Total period of forest land 99 year mention कर दिया गया है।
3.	The component wise break up does not give information about the area proposed for muck dumping road etc. May provide the required information in component wise break up in online Part I.	उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मक डिस्पोजल नापभूमि में किया जा रहा है। अतः component wise brakup में सिर्फ Road construction हेतु हस्तान्तरित भूमि 1.449 है0 को लिया गय है। मक डिस्पोजल हेतु भूमि हस्तान्तरित नहीं की जानी है।
4.	Employment generation detail is appears to be incorrect therefore the State Govt. may review the same and provide correct information in online Part I.	पार्ट–। के क्रम संख्या E(ii), (iii) में Employment generation detail correct कर दी गयी है।
5.	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C(iv) Part I online, few geo coordinates are shown in Google map which does not serve the purpose. My provide/upload scanned copy of clear GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित geo-referenced digital map मे coordinates regular interval 200मी0 से 300 मी0 में दर्शाते हुये पार्ट–। के क्रम संख्या C(ii) and (iv) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–1 पेज 3 से 4)
6.	The Digital map of area proposed for CA is provided by in Google map, Which does not serve the purpose. The State Govt. May provide/upload GIS software generated revised map showing geo coordinates for all corner points in polygon. (.shp) closed file.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates all corner points में दर्शाते हुये पार्ट–। के क्रम संख्या L(V) and (vi) में अपलोड़ कर दिया गया है। (संलग्नकः– 2 पेज 5 से 7)
7.	There are four villages reported to be benefited by the road while it is mentioned in villages wise break up that the road is passing through the area of only one village Baniyas but the village level committee (VLC). proceeding provided for different village Dharkot. The State Govt. may correct the information in village wise break up in Part I and provide VLC proceeding for all village through which the proposed road alignment is passing.	सभी 4 ग्राम एक ही ग्राम पंचायत धारकोट के अन्तर्गत आते है। पार्ट–। के क्रम संख्या B–2.3 में Village wise break up Mention कर सभी 4 गांव दर्शा दिये गये है।

8.	The date of village level commitee proceeding is mentioned 15-1-2015 which is after the date of FRA certificate which is procedurally incorrect. All other committee meeting supposed to be held after the meeting of VLC.	Village level committee (VLC) FRA संशोधित कर दिया गया है।
9.	The State Govt. may upload the complete FRA certificate along with all annexure in correct order of date in cloumn K of Part I after making necessary corrections as mentioned in above points 7and 8.	पार्ट–। के क्रम में संख्या K(a) में संशोधित FRA क्रमवद्व अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-3 पेज 8 से 13)
10.	In the suitability certicate uploaded in online Part II. the name of the area market for CA is mentioned in various villages but only two patches are shown in the digital and SoI toposheet map, The State Govt. may clarify that how much patch is involved in CA and furnish details in online Part I accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 7 Patches मे क्षतिपूर्ति हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी है। जिसका संशोधित Map उपलब्ध करा कर पार्ट–। के क्रम संख्या L(iv) में सेशोधित विवरण भर दिया गया है।
11.	The hard copy of part I.II, III, IV and V dully msignerd/authenticated by the competent authority may be furnished to this office. same as on online web protal.	Authenticated copy of part-I संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। Part II, III की हार्ड प्रति प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। Part IV and V उच्च स्तर से संलग्न किया जाना हैं (संलग्नक-4 पेज 14 से 15

संलग्नकः– प्रस्तावक विभाग की पत्र के साथ सलंग्नक सहित।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांकः– 3269 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पार्ट ।। की हार्ड प्रति इस कार्यालय से पार्ट ।।। की हार्ड कॉपी वन संरक्षक, गढ़वाल पौड़ी के कार्यालय से प्राप्त कर पार्ट । की प्रति एवं अन्य प्रपत्रों के साथ कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग
Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :– 3620/10 एल०ए० दिनांक :–21 /12/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :– **सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 1482/12–1 दिनांक 03.10.2016।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Short narrative of the project does not give adequate information about project in online Part I.	पार्ट–I के क्रम संख्या A-1 (iii) में Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।
2	Total period for which the area proposed to be diverted is not mentioned in Part I.	पार्ट–I के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
3	The component wise break up does not give information about the area proposed for muck dumping, road etc. May provide the required information in component wise break up in online Part I.	उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मक डिस्पोजल नापभूमि में किया जा रहा है। अतः Component wise breakup में सिर्फ Road Construction हेतु हस्तान्तरित भूमि 1.449 हे० को लिया गया है। मक डिस्पोजल हेतु भूमि हस्तान्तरित नहीं की जानी है।
4	Employment generation detail is appears to be incorrect therefore the State Govt. may review the same and provide correct information in online Part I.	पार्ट–I के क्रम संख्या E (ii) & (iii) में Employment generation detail correct कर दी गयी है।
5	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, few geo coordinates are shown in Google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of clear GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये पार्ट–I के क्रम संख्या C (iii) and (iv) में अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 पेज 3 से 4)**
6	The digital map of area proposed for CA is provided by in Google map, which does not serve the purpose. The State Govt. may provide/upload GIS software generated revised map showing geo coordinates for all corner points in polygon (.shp) closed file	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates All corner points में दर्शाते हुये पार्ट–I के क्रम संख्या L (v) and (vi) में अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–2 पेज 5 से 7)**
7	There are four villages reported to be benefited by the road while it is mentioned in village wise break up that the road is passing through the area of only one village Baniyas but the village level committee (VLC) proceeding provided for different village Dharkot. The State Govt. may correct the information in village wise break up in Part I and provide VLC proceeding for all village through which the proposed road alignment is passing.	सभी 4 ग्राम एक ही ग्राम पंचायत धारकोट के अन्तर्गत आते है। पार्ट–I के क्रम संख्या B-2.3 में Village wise break up Mention कर सभी 4 गांव दर्शा दिये गये है।

8	The date of village level committee proceeding is mentioned 15-01-2015 which is after the date of FRA certificate which is procedurally incorrect. All other committee meeting supposed to be held after the meeting of VLC.	Village level committee (VLC) FRA संशोधित कर दिया गया है।
9	The State Govt. may upload the complete FRA certificate along with all annexure in correct order of date in column K of Part I after making necessary corrections as mentioned in above points 7 and 8.	पार्ट–I के क्रम संख्या K (a) में संशोधित FRA क्रमबद्ध अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–3 पेज 8 से 13)**
10	In the suitability certificate uploaded in online Part II, the name of the area market for CA is mentioned in various villages but only two patches are shown in the digital and SoI toposheet map. The State Govt. may clarify that how much patch is involved in CA and furnish details in online Part I accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 7 patches में क्षतिपूर्ति हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी है। जिसका संशोधित Map उपलब्ध करा कर पार्ट–I के क्रम संख्या L (iv) में संशोधित विवरण भर दिया गया है।
11	The hard copy of part I, II, III, IV and V dully signed/authenticated by the competent authority may be furnished to this office, same as on online web portal.	Authenticated copy of Part-I संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। तथा Authenticated copy of Part-II, III, IV and V डी॰एफ॰ओ॰ स्तर से उपलब्ध करायी जानी है। **(संलग्नक–4 पेज 14 से 15)**

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्त।

21/12/16

(जे॰पी॰रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
कर्णप्रयाग
21/12/16

जियो रेफेरेंस मैप –जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

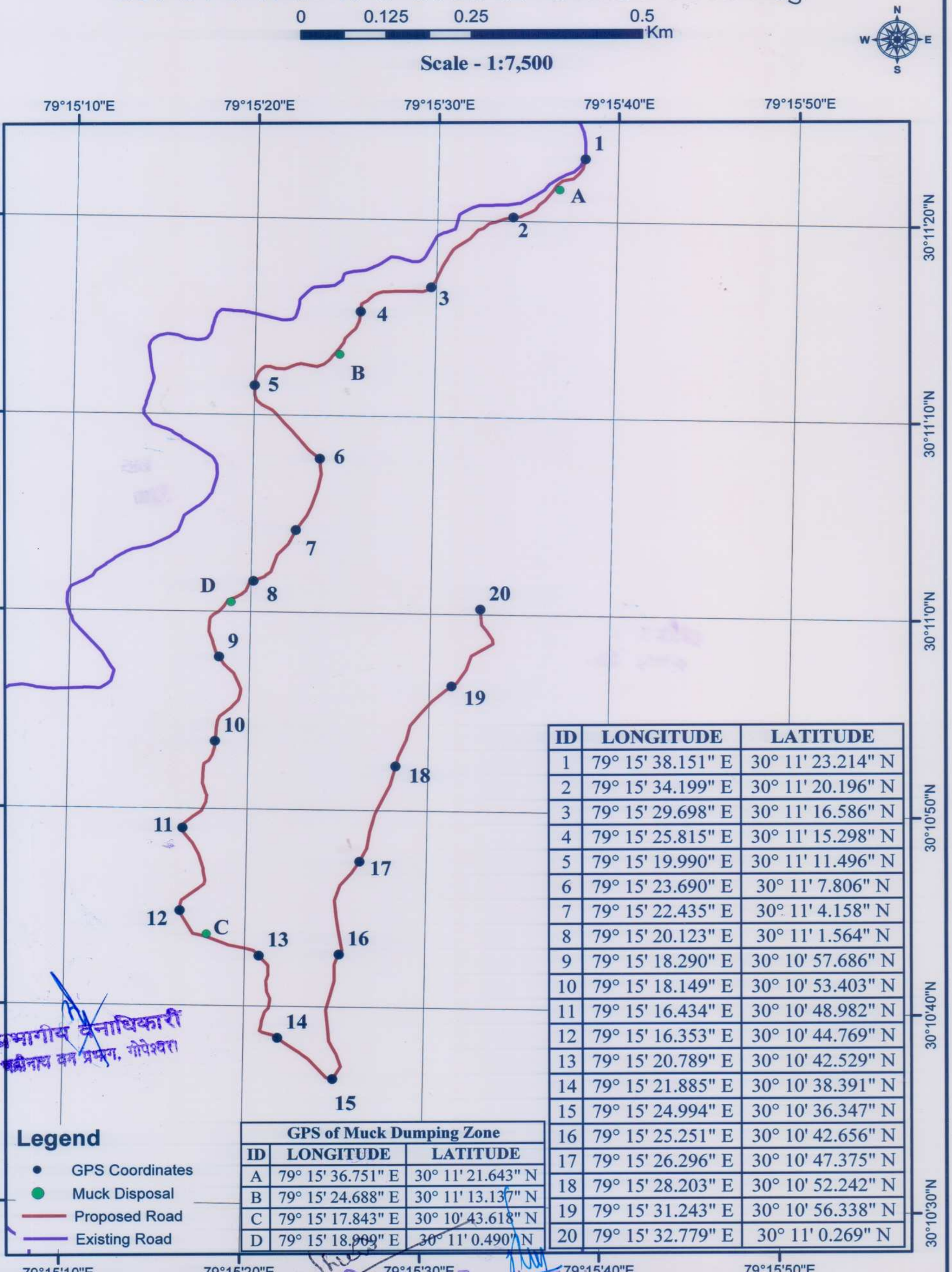

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 15' 38.151" E	30° 11' 23.214" N
2	79° 15' 34.199" E	30° 11' 20.196" N
3	79° 15' 29.698" E	30° 11' 16.586" N
4	79° 15' 25.815" E	30° 11' 15.298" N
5	79° 15' 19.990" E	30° 11' 11.496" N
6	79° 15' 23.690" E	30° 11' 7.806" N
7	79° 15' 22.435" E	30° 11' 4.158" N
8	79° 15' 20.123" E	30° 11' 1.564" N
9	79° 15' 18.290" E	30° 10' 57.686" N
10	79° 15' 18.149" E	30° 10' 53.403" N
11	79° 15' 16.434" E	30° 10' 48.982" N
12	79° 15' 16.353" E	30° 10' 44.769" N
13	79° 15' 20.789" E	30° 10' 42.529" N
14	79° 15' 21.885" E	30° 10' 38.391" N
15	79° 15' 24.994" E	30° 10' 36.347" N
16	79° 15' 25.251" E	30° 10' 42.656" N
17	79° 15' 26.296" E	30° 10' 47.375" N
18	79° 15' 28.203" E	30° 10' 52.242" N
19	79° 15' 31.243" E	30° 10' 56.338" N
20	79° 15' 32.779" E	30° 11' 0.269" N

GPS of Muck Dumping Zone

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 15' 36.751" E	30° 11' 21.643" N
B	79° 15' 24.688" E	30° 11' 13.137" N
C	79° 15' 17.843" E	30° 10' 43.618" N
D	79° 15' 18.909" E	30° 11' 0.490" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

Executive Engineer
Prov. Divn. P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

18/11/16

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

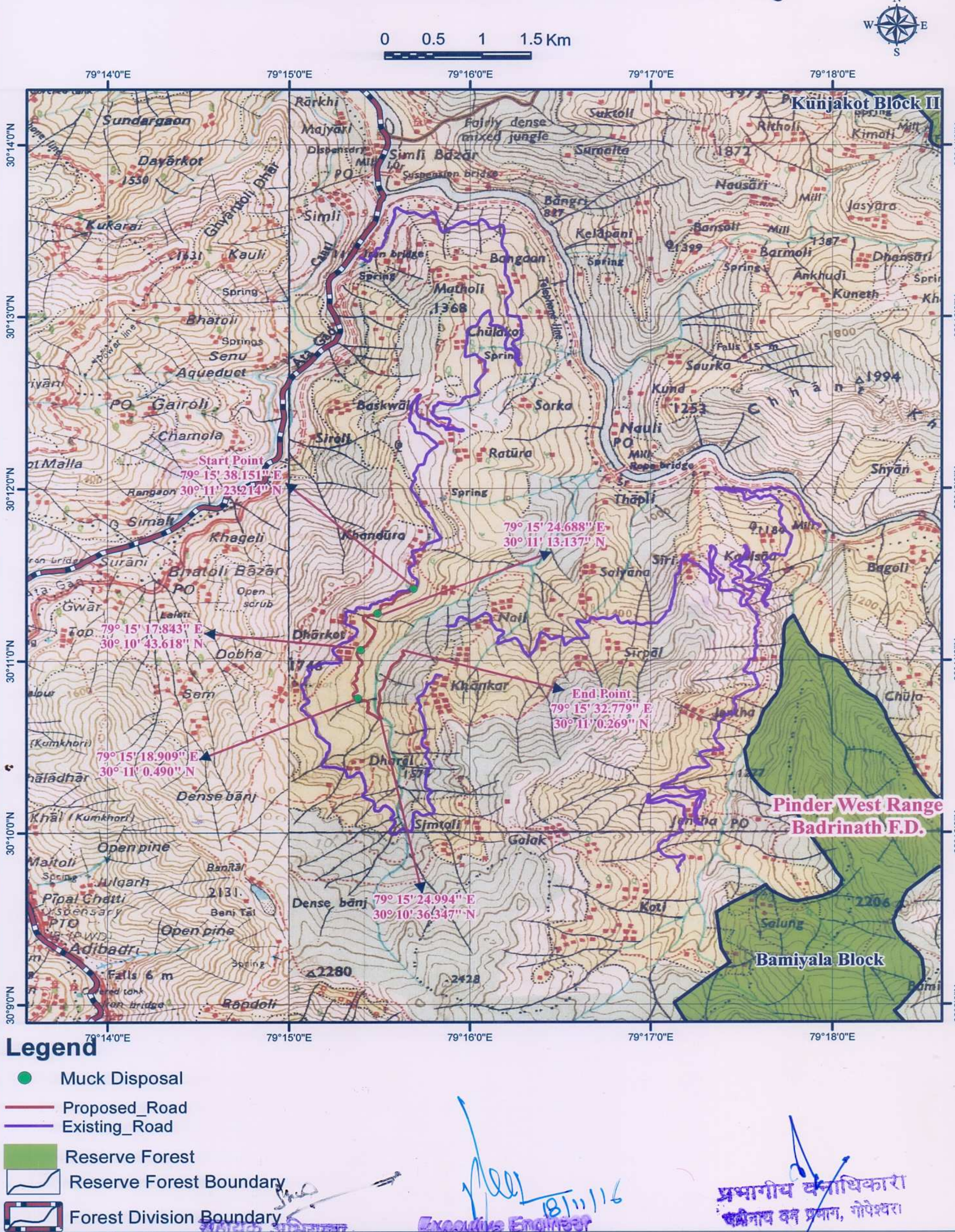

18/11/16

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग

Executive Engineer
Prav. Divn., P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Attachment-2

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

0 0.275 0.55 Km

Scale - 1:10,000

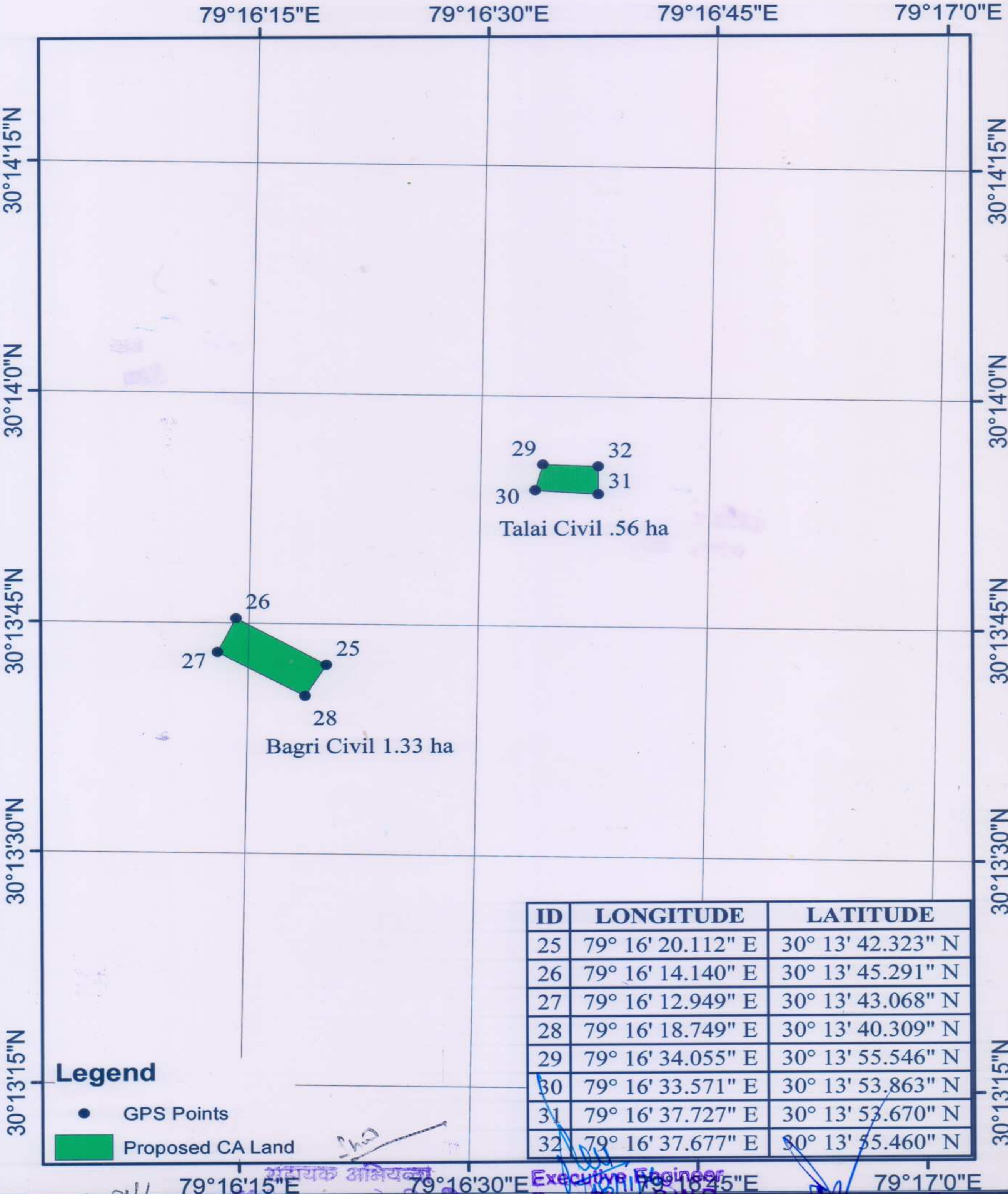

ID	LONGITUDE	LATITUDE
25	79° 16' 20.112" E	30° 13' 42.323" N
26	79° 16' 14.140" E	30° 13' 45.291" N
27	79° 16' 12.949" E	30° 13' 43.068" N
28	79° 16' 18.749" E	30° 13' 40.309" N
29	79° 16' 34.055" E	30° 13' 55.546" N
30	79° 16' 33.571" E	30° 13' 53.863" N
31	79° 16' 37.727" E	30° 13' 53.670" N
32	79° 16' 37.677" E	30° 13' 55.460" N

सहायक अभियन्ता
कर्णप्रयाग

Executive Engineer
Prov. Divn., P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

प्रभागीय वनाधिकारी

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

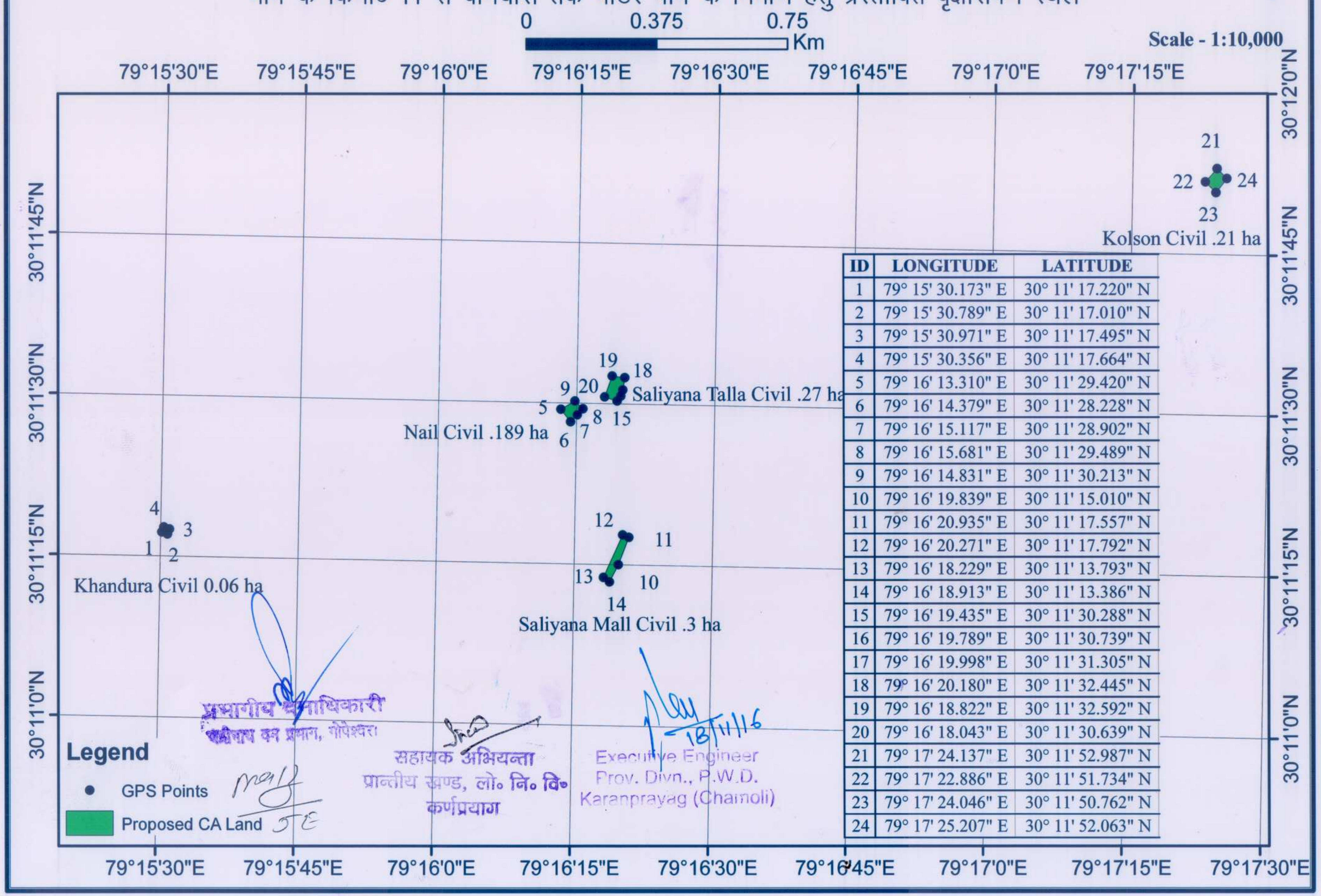

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 15' 30.173" E	30° 11' 17.220" N
2	79° 15' 30.789" E	30° 11' 17.010" N
3	79° 15' 30.971" E	30° 11' 17.495" N
4	79° 15' 30.356" E	30° 11' 17.664" N
5	79° 16' 13.310" E	30° 11' 29.420" N
6	79° 16' 14.379" E	30° 11' 28.228" N
7	79° 16' 15.117" E	30° 11' 28.902" N
8	79° 16' 15.681" E	30° 11' 29.489" N
9	79° 16' 14.831" E	30° 11' 30.213" N
10	79° 16' 19.839" E	30° 11' 15.010" N
11	79° 16' 20.935" E	30° 11' 17.557" N
12	79° 16' 20.271" E	30° 11' 17.792" N
13	79° 16' 18.229" E	30° 11' 13.793" N
14	79° 16' 18.913" E	30° 11' 13.386" N
15	79° 16' 19.435" E	30° 11' 30.288" N
16	79° 16' 19.789" E	30° 11' 30.739" N
17	79° 16' 19.998" E	30° 11' 31.305" N
18	79° 16' 20.180" E	30° 11' 32.445" N
19	79° 16' 18.822" E	30° 11' 32.592" N
20	79° 16' 18.043" E	30° 11' 30.639" N
21	79° 17' 24.137" E	30° 11' 52.987" N
22	79° 17' 22.886" E	30° 11' 51.734" N
23	79° 17' 24.046" E	30° 11' 50.762" N
24	79° 17' 25.207" E	30° 11' 52.063" N

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

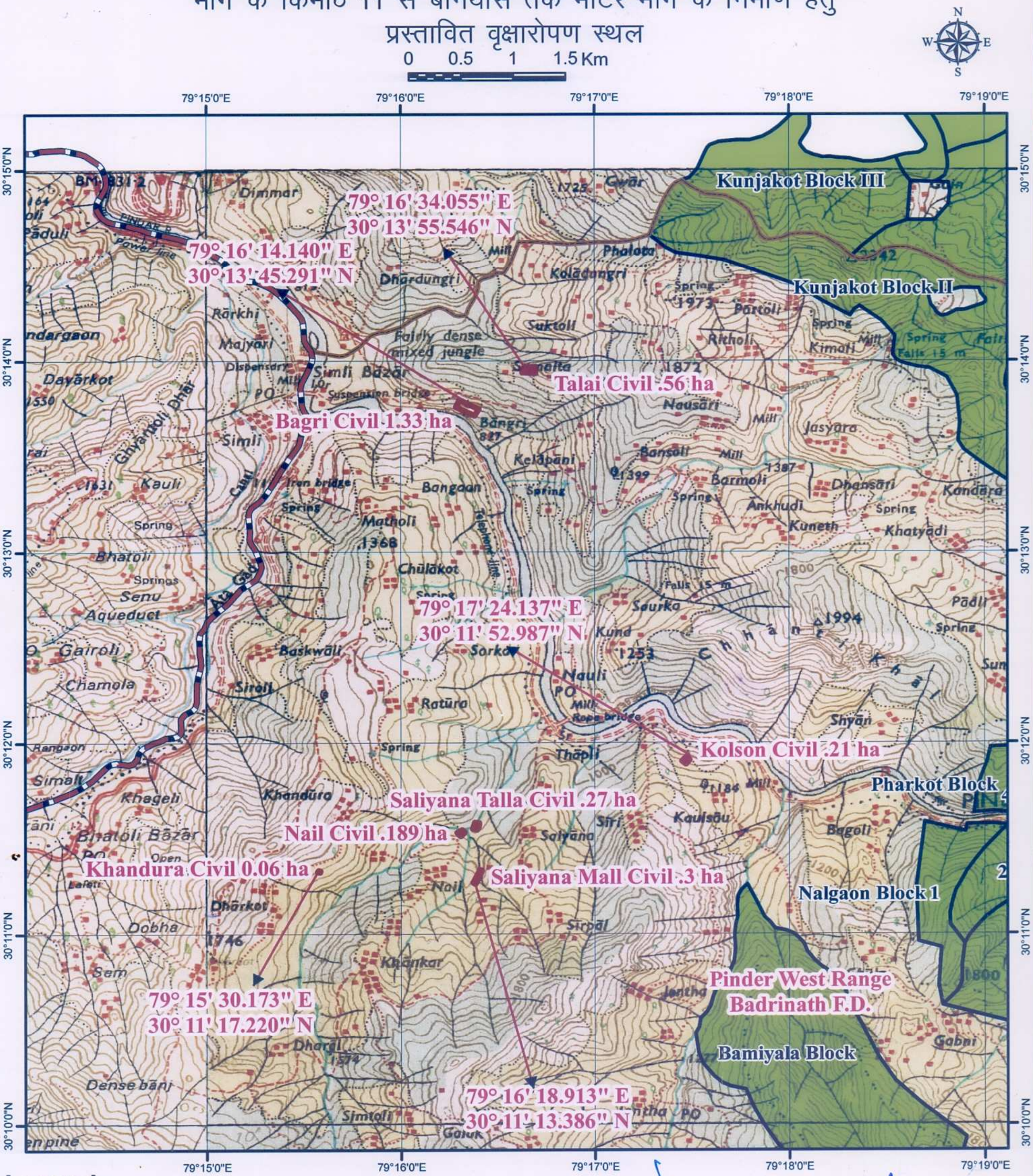

Legend

- Proposed Plantation Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग

18/11/16
Executive Engineer
Prov. Divn., P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Attachment-3

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. / Dated : 14 / 01 /2015

mak
J.E

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.449 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11** falls within jurisdiction of Baniyash Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(g) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.449 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(h) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(i) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

Annexure-I

Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.01.2015..... At 14.00hrs. at Chamoli in which the application claiming rights in village Baniyash of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.449 Hectares for the **Construction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

(15)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम:– चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चलाकोट मो० मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बनिआस तक मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ...चमोली... परिक्षेत्र के अर्न्तगत ...सिमली चलाकोट मो० मार्ग के K.m. 11 से बनिआस मो० मार्ग का निर्माण (...x... हे. आरक्षित वन भूमि ...1.449... हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि ...x... हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल .... हे. वन भूमि) का ...1.449... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील............) की दिनांक ...13/01/015... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वर्न अधिकार समिति की बैठक ...13/01/015... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:– श्री ...किशन सिंह नेगी... उपजिलाधिकारी ....( ) अध्यक्ष
2:– श्री ...शिवानन्द सुमन... उप प्रभागीय बनाधिकारी .... सदस्य,
3:– श्री ...मोहन सिंह मर्ताली... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य सचिव
4:– श्री .... बी.डी.सी. क्षेत्र .... सदस्य,
5– श्री भालचन्द्र पुरोहित वन अधिकार समीति सदस्य
6 श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समीति सदस्य
7 श्री महिपाल सिंह नेगी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
बद्रीनाथ वन प्रभाग (गोपेश्वर)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग अन्तर्गत सिमली चलाकोट मो० मार्ग के Km 11 से बनिआस तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु ...1.449... हे. वन भूमि लो० नि० वि०

कर्णप्रयाग... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड......कर्णप्रयाग......परिक्षेत्र के अर्न्तगत ...घलाकोट मो० मार्ग के 14 कि.मी. से पनिचाड़ तक मो० मार्ग का निर्माण... परियोजना के निर्माण हेतु ...1.449......हे. वन भूमि लो.नि.वि. ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कर्णप्रयाग
जनपद ......चमोली......

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी ......चमोली.............को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकास ,खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के कि. मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– घाटकोट ग्राम बनियास

तहसील – कर्णप्रयाग, जिला.– चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेत (X हे. आरक्षित वन भूमि, 1.442 हे. सिविल सोयम भूमि X हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.449 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घाटकोट .द्वारा दिनांक 11/01/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्तांव पारित किया गया कि ग्राम .... घाटकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(10)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./–

ग्राम सचिव.......................... ग्राम प्रधान.....घारकोट.........

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनाक .....11/01/015.......को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....घारकोट......

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[signature]
2	Kirpd	KPL
3	Dalvant	[signature]
4	Premmel	[signature]
5		
6	श्याम लाल.	श्यामलाल
7	मदन लाल	मदनलाल
8	Narendra	[signature]
9	विपिन कुमार	[signature]
10	उमेदा देवी	उमेदा देवी
11	गायत्री देवी	गायत्री देवी

प्रधान ग्राम पंचायत घारकोट
ह० [signature]
दि० 11/01/015
वि०ख०–कर्णप्रयाग चमोली

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्र्तगत सिमली–चूलाकोटर मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु बन भूमि हस्तान्तरण।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद चमोली के विकास खण्उ कर्णप्रयाग के अन्र्तगत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु बन भूमि हस्तान्तरण ।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न
ग) परियोजना की लागत।	रू. 81.24 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दुरस्थ एवं पिछडे क्षेत्र के विकास हेतु यातायात को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	स्थानीय कृषि उत्पादन , बागवानी एवं वानिकी में वृद्धि होने के फलस्वप रोजगार के अवसर बढेगें
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	सिविल भूमि– 1.449 हे.
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण कोई भी व्यक्ति परिवार विस्थापित नहीं होगी।
क) परिवारों की संख्या	––––,,––––
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	––––,,––––
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	––––,,––––

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही) — हॉ,

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का ब्यौरा। — अनुसूची संलग्न है।

दिनांक..................

स्थान..................

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	30/11/16 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या..

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)